### दूरसंचार विभाग

2015 की लेखापरीक्षा प्रतिभेदन संख्या 55 (मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए), 2016 के 4 (वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्थान की हिस्सेदारी) तथा 2016 के 29 (मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए), 2016 में संसद में रखी गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारः

<table>
<thead>
<tr>
<th>स.न.</th>
<th>महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>नवम्बर 2012 / मार्च 2013 सम्पन्न 1800 मेगाहर्ट्ज / 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिये देश नीलामी राशि की विद्युत लाइसेंस धारकों, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वच्छ न्यायालय द्वारा असंविधानिक घोषित एवं निरस्त कर दिये गये थे, द्वारा 2008 में भूगतान किये गये गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ` 5476.30 करोड़ के समान ने सरकार को उस सीमा तक राजस्थान से वंचित किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>आपरेटरों को प्रशासनिक तौर पर निषेधक वर्ष प्रतिवर्ष 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का लाभकार आंदोलन / विस्तार करने के परिणामस्वरूप एकमुख प्रभारों की गैर-वसूली की वजह से सर्वच्छ नावों उल्लेखनीय हानि हुई जिसका सरकार वसूल कर सकती थी, यदि इसमें इसकी नीलामी की होती। यह दृष्टि की सिफारिश के बावजूद 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी की तथा इससे माननीय सर्वच्छ न्यायालय के निर्णय के आश्य एवं आदना का भी उल्लेख किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>शासन के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक बिलिंग प्राधिकरण (ड्राइ) ने केंद्र सरकार के निर्देशों, अपने ही लोकल डिजिटल टेलीफोन एवं विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों की राय की अनदेखी करते हुये पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2014 तक ` 14.12 करोड़ का व्यय किया। भविष्य में व्यय तब तक किया जाएगा जब तक क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहेंगे।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>निर्णय के संचार लेखा (निम्ने से), राजस्थान दूरसंचार परिमंडल ने वर्ष 2008-2010 की अवधि में मैसूर टाट्टा टेलीसेवा स्पेक्ट्रम उस्मिट्टेड (दी टीएस एल) के द्वारा प्रस्तुत किये गये दायों के आधार पर <code>71.49 करोड़ के प्रति लोडेड सर्विस वितरण के पूर्व बाहक आवेदन पत्र (सीएसएसएफ) की संयोग अंतर किये बिंग अनुमोदित कि दी। आगे, ऑडिशन और केंद्र परिमंडल के निम्ने से ने दोहरे दायों पर</code> 0.82 करोड़ की संस्थिति का भूगतान के एस एन एल और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>एस टी एल, एक अवसरपत्र प्रति श्रेणी - I (अ प्र - I) पंजीकृत कम्पनी, जो कि केंद्र दूरसंचार सेवा प्रदाता की लाइसेंस धारकों की अवसंरचना समयस्थ द्वारा याचिका की भूगतान की, अ प्र - I पंजीकृत के कार्यक्रम के बाहर कार्य कर रही थी। यद्यपि, टम्स सैल, पूने द्वारा नीं ओ दी के संज्ञान में यह तथ्य लागा गया, एक वर्ष के बाद भी कम्पनी के विद्युत कोई कार्यवाही नहीं की गई।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### दूरसंचार विभाग के अधिन सर्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

<table>
<thead>
<tr>
<th>स.न.</th>
<th>महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>निजी / सरकारी संगठनों से तीन वर्षों से अधिक समय के लिये देवों के गैर भूगतान के बावजूद भी बी एस एन एल द्वारा पट्टे पर दी गई लाइसेंस एवं परिपथों को चाचू रखने के परिणाम स्वरूप एक्स्टेंड करिंग परिमंडल एवं एक्स्टेंड करिंग क्षेत्र में ` 223.99 करोड़ के ब्याज का संचयन हुआ।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>बी एस एन एल में अवसर स्पेस परिमंडल में अवसरपत्र स्थलों के अनुप्रयोग रखरखाव के कारण</td>
</tr>
</tbody>
</table>
दिनी कूटवार देखा प्रदान देखा राजस्व हिस्सेदारी

राजस्व हिस्सेदारी भुगतान का सम्बंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित सकल राजस्व से हैं। सरकार को भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी का सटीक और सम्पूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि संचालक द्वारा जी आर / ए जी आर का अंशकलन लाइसेंस शर्तों के अनुसार था।

सरकार को भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी की सटीकता का आंकलन करने हेतु, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ने छ: कूटवार सेवा प्रदाताओं उदाहरणार्थ भारतीय एस्टेट, वोल्फमोंड ईंडिया लिमिटेड, रिलायंस कम्प्यूटर्स लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड, टाटा टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, आईडिया सीमित कम्पनी लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड व 2014-15 में सहायक के, 2006-07 से 2009-10 तक के लेखाओं के मूल लेखांकन अभिलेखों व दस्तावेजों का सत्यापन किया।

लेखांकन द्वारा छ: एस एस के अभिलेखों के सत्यापन से निरिष्ट हुआ कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि में `46045.75 जोड़ के कुल ए जी आर कम बताये गये। भारत सरकार एस एफ (`3752.37 जोड़), एस यू सी (`1460.23 जोड़) तथा कर्तव्य 2006-07 से 2009-10 के लिये छ: एस एस के देख बाज (`7276.33 जोड़) के कारण कम भुगतान न करने से `12488.93 जोड़ के कुल राजस्व से वंचित रहे।
31 मार्च 2015 को एन एफ, एस हू शी व उस पर देय व्याज के संचालक वार कम / भुगतान न करना नीचे की तालिका में दिया गया है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>एप्टेल</th>
<th>वोडाफोन</th>
<th>रिलायंस</th>
<th>आईडिया</th>
<th>टाटा</th>
<th>एयरसेल</th>
<th>कुल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>लाइसेंस फीस</td>
<td>719.46</td>
<td>522.56</td>
<td>1125.40</td>
<td>289.99</td>
<td>1019.16</td>
<td>75.80</td>
</tr>
<tr>
<td>एस हू सी</td>
<td>347.49</td>
<td>227.29</td>
<td>381.85</td>
<td>133.27</td>
<td>338.52</td>
<td>31.81</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल (लाइसेंस फीस + एस हू सी)</td>
<td>1066.95</td>
<td>749.85</td>
<td>1507.25</td>
<td>423.26</td>
<td>1357.68</td>
<td>107.61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| व्याज  | 1584.94     | 915.54    | 2221.29   | 541.63 | 1857.71   | 155.27 | 7276.33 |

| कुल योग (लाइसेंस फीस + एस हू सी + व्याज) | 2651.89     | 1665.39   | 3728.54   | 964.89 | 3215.39   | 262.83 | 12488.93 |

महत्त्वपूर्ण लेखापत्र की टिप्पणीयों का सार

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>महत्त्वपूर्ण लेखापत्र का अवलोकन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उपाध्योग को वेब्स एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिये वित्त के / डिलरों / अभिक्रियाओं / फ्रेमेजियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनको कमीशन / रियायत का भुगतान करते हैं। सभी एन निजी सेवा प्रदाताओं (एप्टेल, वोडाफोन, आईडिया लेमर, रिलायंस, टाटा डेलिन्सिविसेस सि. और एयरसेल) में वित्त के / डिलरों / अभिक्रियाओं / फ्रेमेजियों को भुगतान किए गए कमीशन / रियायत का भुगतान की राशि को शामिल न करके दूरसंचार विभाग को बताये गए जीआर / एजीआर को कम किया है। इस प्रकार जी आर / ए जी आर <code>5672.66 करोड़ कम बताये गये, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस हू शी का क्रमशः 487.09 करोड़ एवं </code>203.38 करोड़ का कम भुगतान हुआ।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>निजी सेवा प्रदाता विशिष्ट अवसरों पर अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए टाइम / क्री एयर टाइम (एफटीटीएफटीटी) जैसे अलग-अलग अफर उपलब्ध कराते हैं। लेखापत्र में पाया गया कि सभी निजी सेवा प्रदाताओं ने सर्वदर्शन योजनाओं (प्रमोशन अफर) को राजस्थान के रूप में रीवीड में नहीं किया है। राजस्थान हिस्सेदारों के लिये जीआर/एजीआर हेतु इन अफरों को राजस्थान के रूप में फॉर्मूला जाना चाहिए क्योंकि इन्हें अनुमोदन के अनुसार ऐसे सर्वदर्शन अफर व्यापार की गृहीत के होते हैं। लेखापत्र में इस प्रकार जीआर/एजीआर में `8960.81 करोड़ की कम आंकीं की राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एस हू शी का क्रमशः 784.28 करोड़ एवं 271.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 3   | लेखापत्र में पाया गया कि एप्टेल, वोडाफोन, आईडिया, टाटा एवं एयरसेल के द्वारा पोस्टपेड ग्राहकों
4 निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अन्तरराष्ट्रीय आयर्स लेखों के साथ संयुक्त में सीमित सेवाओं के लिए व्यवस्था है। यह देखा गया है कि एयरपोर्ट, बोड्सपोर्ट एवं अईडिया ने इन आयर्सकों के लेख में बुनातन /जमा किए गए इंटर आयर्स ट्रेक (आईआईटी) छूट को सीमित रजस्त रेस से निकाला घटा दिया गया। ये छूट व्यवस्था की प्रकृति के है और इसलिये लाइसेंस अनुबंध के शर्तों के अनुसार ये रजस्त से कटाई नहीं की जानी चाहिए। फेअरवरीशा जीआर /एजीआर में इस लेख पर '437.02 करोड का कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः 41.41 करोड एवं 18.66 करोड का कम मुहूर्त हुआ।

5 यूरोएयरस्क अनुदानों से प्राप्त धन है कि जीआर में, अवसर प्रदाता की भागीदारी से प्राप्त रजस्त, व्यवस्था की संबंधित मद या घटाये विशिष्ट शामिल होगा। फेअरवरीशा ने पाया कि एयरपोर्ट, बोड्सपोर्ट, अईडिया, टाटा एवं फेअरस्क द्वारा अवसर प्रदाता की भागीदारी से प्राप्त राशि का पूर्ण रूप से रजस्त में नहीं लिया गया इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यवस्था में जमा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप रजस्त भागीदारी हेतु जीआर/एजीआर की गणना के लिए अवसर प्रदाता की भागीदारी से रजस्त को कम कर दिया गया है। फेअरवरीशा को जीआर/एजीआर में इस लेख पर ‘11.5.45 करोड का कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः 101.60 करोड एवं 46.36 करोड का कम मुहूर्त हुआ।

6 जीआर की परिभाषा के संदर्भ में रजस्त हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फेअरस्क लाइसेंस को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। फेअरवरीशा ने देखा कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुल्काती वर्ष में रजस्त हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फेअरस्क लाइसेंस को जीआर/एजीआर में शामिल किया है तथापि, बाद में सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने रजस्त हिस्सेदारी की गणना के लिए फेअरस्क लाइसेंस को जीआर/एजीआर में शामिल करना बदल कर दिया अथवा फेअरस्क लाइसेंस को आश्चर्य रूप से रजस्त हिस्सेदारी की गणना लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। फेअरवरीशा ने जीआर /एजीआर में ’2095.86 करोड के फेअरस्क लाइसेंस (एसयू) की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः 174.48 करोड एवं 51.19 करोड का कम मुहूर्त हुआ।

7 लाइसेंस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्राप्त है कि व्यास से प्राप्त आय को रजस्त हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। फेअरवरीशा ने देखा कि छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुल्काती वर्ष में रजस्त हिस्सेदारी की गणना करने के लिए व्यास से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है। फिर भी, बाद में छह निजी सेवा प्रदाताओं ने रजस्त हिस्सेदारी की गणना के लिए व्यास से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल करना बदल कर दिया अथवा व्यास से प्राप्त आय को आश्चर्य रूप से रजस्त हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। फेअरवरीशा ने जीआर /एजीआर में ’6299.90 करोड की व्यास से प्राप्त आय की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः 535.23 करोड एवं 204.32 करोड का
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>सामग्री</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार निवेशों से प्राप्त आय को शी राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर / ए जी आर में शामिल किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, रिलायंस, आईडिशिया, टाटा और एयरसेल ने निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर / ए जी आर में शामिल नहीं किया। लेखापरीक्षा ने जी आर / ए जी आर में 3111.45 करोड़ निवेशों से आय को शामिल न करने की निर्देशित जिसके परिणामस्वरूप एलएफ एफ तथा एस यू सी पर क्रमशः 271.90 करोड़ और 93.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>आर सी एल एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएसएस) लाइसेंसधारक है। रिलायंस कम्प्यूटरिस्ट्रिक्चन इन्फरस्ट्रूक्चर लिमिटेड (आर सी आईएस) जो कि अवसंरचना प्रदाता लाइसेंस श्रेणी 'आ' के अंतर्गत आर सी एल द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक पूर्ण रूप से था। यह देखा गया कि जो राजस्व आर सी एल का राजस्व होना चाहिए था उन आर सी आईएल के खाते में डाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, आर सी एल ने संकाय को राजस्व हिस्सेदारी की सही राशि का भुगतान नहीं किया। आर सी एल द्वारा अपनी सहायता (आर सी आईएल) के साथ व्यवस्था के कारण जी आर / ए जी आर में कुल 4424.12 करोड़ की कमी निकली गई, जिसके प्रभावी तौर पर लाइसेंस फीस और एस यू सी पर क्रमशः 405.08 करोड़ और 114.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ।</td>
</tr>
</tbody>
</table>